



सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा
Delhi Legislative Assembly

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन
FIRST REPORT

दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत
Presented on 17th December 2004

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, विधान सभा भवन, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Vidhan Sabha Bhawan, Delhi - 54

Introduction

I, Dr. Narender Nath, Chairman of the Public Accounts Committee of the Delhi Legislative Assembly, having been authorised by the Committee to present its Report, do hereby present the Report of the Committee relating to examination of Paras pertaining to the Delhi Fire Services as appearing in the Comptroller and Auditor General's report for the year ended March 2001.

The introductory meeting of the Public Accounts Committee was held on the 21st September 2004 and the Committee decided to examine the paras relating to the Delhi Fire Services. The Committee considered the Paras in its meetings held on 5th October, 2nd November and 9th November 2004. The Committee held extensive deliberations and the Departmental Representatives were also given adequate opportunity to present their views in these meetings. The report of the Committee was adopted in its meeting held on 1st Decemberr 2004.

The Committee appreciates the co-operation and guidance extended to it by Shri RK Ghose, Accountant General (Audit), Delhi and Dr. Sarat Chauhan, Additional Secretary, Finance Department, Government of Delhi. The Committee also wishes to place on record its appreciation of the valuable assistance rendered by the Officers and Staff of the Assembly Secretariat during its meetings as also in the preparation of the Report.

Delhi.

Date: 1st December 2004


(Dr. Narender Nath)

Chairman
Public Accounts Committee

REPORT

Para 3.1.5: Fire Fighting:

(a) Fire/Rescue Calls and Response time:

The Report of the C&AG had observed that the Department had failed to ensure the prescribed maximum response time in 63 *per cent* cases test checked. There were only 36 fire stations as against 70 targeted. The distribution of these fire stations was not in proportion to the population - Audit found that the response time was much more than the prescribed maximum time limit of five minutes within the urban areas in more than 63 *per cent* cases. In rural areas, the maximum time of 10 minutes was maintained only in 16.18 *per cent* cases. In 32 cases response time was between 25 to 82 minutes and the distance covered ranged from four to 34 km. It was also observed that the prescribed time limit could be maintained only in cases where these calls were located within the distance of five kms from the fire stations. A scrutiny of the logbooks also revealed that in most of the cases the odometer of the vehicles were out of order and the number of kilometers travelled appeared to be an estimate only.

The Para was considered in the meeting held on 5th October 2004. The Departmental Representatives informed that in spite of their best efforts there were reasons beyond its control such as heavy traffic, congested lanes and unauthorized constructions due to which the fire tenders could not reach the sites within the stipulated time. The Department quoted the instance of the Sadar Bazar area where, in spite of there being three fire stations, the dense traffic and population made travel very difficult and the tenders required 15 minutes to cover a distance of one and a half kilometer. The Principal Secretary stated that even after reaching a site, often the approach to the buildings was inaccessible. He stated that the Department was considering the purchase of fire bowzers, which could carry three times more water than an ordinary fire tender. The Department also proposed to deploy fire personnel on motorcycles who could reach the place of incidence at the earliest and commence the fire fighting operations.

The Committee agrees with the contention of the department that the prescribed time limit is difficult to adhere to in the prevailing circumstances. The proposal of the Department to deploy heavy capacity bowzers and personnel on motorcycles is practical and feasible. **The Department should initiate action on these immediately. As regards the faulty odometers, the Department is directed to ensure that these are repaired/replaced at the earliest.**

(b) Fire Stations

The Report of the C&AG had observed that there were only thirty-six fire stations as against the seventy targeted and the distribution of the existing thirty-six fire stations was not in proportion to the population of Delhi.

In the meeting held on 5th October 2004 the The Principal Secretary (Home) stated that during the period 2002-2004 the Department had managed to take possession of 26 land sites from the DDA and now four temporary fire stations were operating from these areas in porta cabins. In 24 cases the Department had received the clearance of the Expenditure Finance Committee. He stated that Public Works Department was the executing agency for the

construction work and a lot of time was consumed in securing clearance from the DDA, MCD, DUAC (Delhi Urban Arts Commission). Eight matters had now reached the DUAC. He stated that around 18-24 months gestation period for completion of the construction work was needed after clearance had been received from the DUAC.

The Committee was assured that by the end of the tenth five year plan (2002-2007) the Department would be able to open fire stations in each of the seventy Assembly constituencies. It was also stated that areas, which did not have a fire station within 6-7 KMs, had been identified and DDA had been requested for allotment of appropriate site. This would to a certain extent overcome the problem of the existing fire stations not being in proportion to the population. **The Department should explore the feasibility of operating more temporary stations in remote areas, which are far away from fire stations, and in areas, which are susceptible to fire accidents.**

The following shortcomings were also noticed during test-check by audit:

(i) The Report of the C&AG had observed when DFS was transferred from MCD to Govt. of NCT of Delhi in November 1994, 13 out of 18 on going projects of fire stations were to be completed by MCD by the end of March 1999. There were 18 projects in hand with MCD including 12 fire stations. Of these, only three fire stations had been completed and nine were still in progress and fire stations were operating from incomplete buildings. These projects were in progress for periods ranging from two to nine years. Payment of Rs. 24.91 crore had already been released to MCD till September 1999 out of their total demand of Rs. 27.08 crore. The DFS had neither maintained any detailed accounts of these projects nor conducted joint inspections with MCD to assess the progress of these projects.

The Departmental Representatives informed the Committee in the meeting held on 2nd November 2004 that the projects had been initially started when these were under the Municipal Corporation of Delhi. In its written submission the department has informed that the projects (completed/partially completed), had been handed over to PWD in the year 2003.

(ii) The C&AG Report had pointed out that the fire station at Narela was working in a temporary structure since 1985. Another station at DSIDC Narela was completed by MCD in June 1999 but the Delhi Fire Service did not take over the new fire station and the fire station was non operational.

In the meeting held on 2nd November 2004 the Departmental Representative informed the Committee that the Fire Station had become operational in July 2002 and the chief reason for the delay in opening the Station was the lack of adequate personnel. The Departmental Representatives stated that request for manpower was placed with the Delhi Subordinate Staff Selection Board in 1999 itself but the candidates were nominated after a lapse of two and a half year.

The Committee accepts the contention of the Department that DSSSB could not nominate the personnel promptly. However, as per the written submission of the Department it is obvious that the follow up action on the part of the Departmental Representative was also slack. Request for filling up the post of fire operators was originally sent on 26.3.99. The reminder to DSSSB was sent after two years i.e. on 25.4.2001 that to only when additional vacancies arose in the Department. Similarly second reminder was sent in 27.9.2002 i.e. again after more than a year, when few more posts fell vacant. Thus, the Department failed to take adequate follow up action in

requesting the Board to fill up the vacancies. **The Department is directed to be more vigilant in future and strictly monitor the progress in such important issues.**

() The C&AG Report had pointed out that the fire station at Badli operates in a rented building of the Industry Department since 1992, without either water connection or tube-well.

In the meeting held on 2nd November the Departmental Representative clarified that earlier drinking water connection had not been available in the Fire Station, which had now been started. The Committee was further informed that the fire tenders filled water from the Delhi Jal Board overhead tanks and were always stationed in ready condition with water.

(iv) The Audit Report had observed that Electrification work of fire station Complex at Nehru Place was pending, despite making payment of Rs. 17.14 lakh in September 1996 to DVB and an additional payment of Rs. 6.39 lakh in December 1998 as penalty for delayed payment.

In the meeting held on 2nd November the Departmental Representatives stated that the payment in 1996 was interim payment and the balance payment was made in 1998. However, as per the records available with the AG (Audit) the payment appears to have been made as penalty for delayed payment. **The Department is directed to verify the facts and if the payment was made due to the slackness on the part of the officials, responsibility needs to be fixed for the same.**

(v) The Audit Report had observed that DFS paid Rs. 1.30 lakh to DDA for allotment of land for construction of five fire stations in April 1991 and Rs. 1.54 lakh during December 1999 to September 2000 for construction of six fire stations. DDA handed over the possession of land in two cases after 17 months of making payment but in respect of eleven cases referred to above; it did not give possession till June 2001. Even in respect of the two cases where land was handed over in May 2001, the DFS had not initiated the construction as of September 2001.

The Principal Secretary informed the Committee that there had been delay on the part of DDA in allotment of land and admitted that there might have been slackness on the part of the Delhi Fire Service in following up the matter with the DDA. He stated that after 2002 the Department had managed to secure possession of 22 plots. **The Department is directed to be more watchful in future and strictly monitor the progress of its various projects.**

Para 3.1.6 Management of Staff Quarters:

The C&AG Report had pointed out that the management of staff quarters was poor. 'Continuous duty system' is in vogue in Delhi Fire Service and all personnel are required to live on the premises of the fire stations. Family accommodation is allotted to the extent available and the remaining personnel live in the barracks. DFS has staff quarters in 27 out of 36 fire stations as of July 2001. The Department had no Estate Officer for management of these quarters. The department did not maintain the consolidated details of the number of staff quarters available in various fire stations.

The Departmental Representative informed the Committee in the meeting held on 2nd November 2004 that the AC (Fire) had now been designated as the Estate Officer and all necessary documents were being properly maintained.

Allotment registers maintained in nine fire stations were test checked in audit. A scrutiny of these allotment registers further revealed the following irregularities/ discrepancies:

(i) Out of 341 staff quarters at nine fire stations 43 were vacant including 12 staff quarters at SP Marg fire station, as these quarters were declared unsafe in March 1999.

The Department informed that as most of the personnel were local residents they preferred to stay in their own accommodation and the department had no shortage of staff quarters. The Committee was also informed that earlier the operational staff performed 72 hours continuous duty with 24 hours break, which resulted in higher demand for quarters. However, the pattern was changed in 1995 to 48 hours working and 24 hours break and again in 1997 to 24 hours off and 24 hours on which reduced the demand for staff quarters.

In its written reply the Department has informed that Public Works Department has been asked to dismantle the buildings, which had been declared unsafe.

(ii) The allottees of five quarters had either retired or died but their families continue to reside in these quarters.

The Department informed that all the mentioned cases were those in which the dependents had applied for appointment on compassionate grounds and out of these only two were yet to be appointed.

(iii) Staff quarters were allotted to the Officers of MCD: The Department informed that a MCD Dispensary was operating from the said premises and the other quarters had been allotted to the staff of the Dispensary in the interest of the Fire Service Personnel.

The Department should explore the possibility of opening a Delhi Government dispensary from the said premises.

(iv) Despite payment of Rs. 1.47 crore to MCD, staff quarters had not been constructed in three fire stations. MCD was required to complete the construction of staff quarters at Jwalapuri, Prasad Nagar and Najafgarh Fire Stations by December 1999. Delhi Fire Service released a total amount of Rs. 1.47 crore to MCD up to March 1999. MCD had not completed the construction as of September 2001. DFS had not ascertained the reasons for delay from MCD.

The Departmental Representative informed that construction at Jwalapuri had been completed and was now occupied. The construction at Prasad Nagar was complete and had been taken over by the department. The quarters at Najafgarh were still under construction. The Principal Secretary (Home) stated that the project had been initially started when these were under the Municipal Corporation of Delhi. After its transfer to the Delhi Government the MCD was not taking much interest in these projects.

As recommended earlier the Department is directed to be more watchful in future and strictly monitor the progress of its various projects.

Para 3.1.7 Fire fighting equipment:

The Report of the C&AG had observed that the fire fighting equipments were inadequate and most of them were out of order.

Audit observed that: -

- i. A large number of the fire fighting equipment was out of commission. The equipments/ vehicles were out of commission as most of these had out lived their life and required frequent repairs. Department had also proposed many of these for condemnation.
- ii. As per norms of Ministry of Home Affairs there should be one pumping unit for a population of fifty thousand. Accordingly requirement of water tenders in Delhi works out to more than 200. But DFS has only 77 water tenders, 35 *per cent* of which were out of commission. Out of 27 water tenders out of commission, seven were proposed for condemnation and 10 more water tenders, which are unserviceable, are being proposed for condemnation. Similarly, out of eight Water Bowsers, which are out of commission, seven are being proposed for condemnation. The Department however incurred an expenditure of Rs. 14.29 lakh on repairs and fabrication of fourteen equipment, the life of which had already expired as per norms of Ministry of Home Affairs. These equipments were lying unserviceable despite heavy expenditure. It was also noticed in some cases that expenditure on repairs was incurred on the vehicles, which were declared out of commission.
- iii. DFS purchased 30 water tender chassis in May 1999 at a total cost of Rs. 1.65 crore. Although 24 of these chassis had been received in July 1999, the water tenders were not fabricated as of June 2001 due to non-finalisation of drawings. The delay in replacement of the condemned vehicles for more than two years, was adversely affecting the functioning of the department.
- iv. There was no increase in the number of the specialised fire fighting equipment since April 1997 and most of these equipment are also out of commission. Three out of four carbon dioxide foam crash tenders for use of fighting chemical fires were out of commission and only one light van was operational. The only dry chemical powder tender used for fighting fires caused by oil is non operational from 31 December 2000. Arrangements for fire fighting in high-rise buildings are also insufficient as five out of six turntable ladders were out of commission.
- v. Besides, 12 motorcycles, one Eicher Ambulance, and one Eicher Aluminium Container Van purchased in March and July 2000 at the cost of Rs. 18.29 lakh were lying unutilised for want of registration."

The para was considered in the meeting held on 9th November 2004. The Departmental Representative stated that all items declared as 'condemned' till the previous year had been disposed off except few items, which had not fetched the minimum reserve price

As regards the observation of the C&AG that vehicles purchased at the cost of Rs. 18.29 lakhs were lying unutilized due to the want of registration the Departmental Representative stated that these vehicles had been registered and were now on road.

The attention of the Departmental Representative was drawn towards the observation of the C&AG that 24 chassis purchased in July 1999 had not been fabricated and were lying unutilized till June 2001. The Chief Fire Officer admitted that there had been delay in this regard as one of the agencies had lodged a complaint and the contract had to be tendered again. In it's written

reply the department had stated that the expenditure was to be incurred in two phases i.e Rs. 356 lakhs for purchase of chassis in 1999-2000 and Rs. 192 lakhs for fabrication in 2000-2001.

However as per the copy of the proposal submitted by the Delhi Fire Services it is clearly mentioned that twenty-one chassis were to be procured and fabricated in the year 1999-2000 which was not done. Similarly, in the papers submitted by the Department, there is no mention of the tender being issued again. A copy of letter-dated 15.1.2001 of the Home Department has been submitted which mentions that the Finance Department had advised to award the tender to the lowest tenderer. There appears to be contradiction between what the Departmental Representative stated in the Committee meeting and in the papers submitted by them.

The Departmental Representative also stated that M/s. Engineers India Limited (A Govt. of India Enterprise) had taken eight months to evaluate the technical bids. The Committee would like to know about the efforts taken to expedite the process of evaluation.

The Department is directed to verify the facts and in view of the admission of the Department that there had been delay, responsibility needs to be fixed for the same.

Para 3.1.8 Workshop

The Report of the C&AG had observed that there was no system to assess the requirement of spares and to record the issue of spares in the DFS workshop. DFS purchased spare parts worth Rs. 1.19 crore during 1997-2001. There was no effective system in place to assess requirement of spares and to record the value and issue of spare parts. History sheets of vehicles were not maintained nor were details of spares issued to specific vehicles available. Test check of 125 cases revealed that the spares like tyres, tubes and batteries, etc. were shown as issued by the stores whereas scrutiny of the reporting registers revealed that the vehicles for which these spare parts were issued had never arrived in the workshop. Therefore, the possibility of pilferage of spare parts could not be ruled out. These need investigation by the Department. Rs. 1.78 crore was spent during 1997-2001 on getting vehicles repaired by private parties. Test-check of the records revealed several irregularities:-

- a) No certificate from the workshop was obtained to the effect that it could not be repaired at the workshop before getting the vehicles repaired from private parties.
- b) In most cases, the repair bills did not indicate the items of work carried out or the parts replaced.
- c) Payment of Rs. 13.57 lakh was made in 58 cases during October 1998 to March 2001 for the repairs of water tenders/ water bowzers. A check of the logbooks of these vehicles revealed that these vehicles were not in the private workshops on the days that they were supposed to have been repaired. It was also noticed in respect of a number of cases of repair bills that the bills were not numbered in chronological order. The bills of later numbers were issued on earlier dates and those of earlier numbers were issued on later dates. Thus, the repairs did not appear to be genuine. A thorough investigation is needed and also a review of the existing system of repairs is required.

The para was considered in the meeting held on 9th November 2004. The AG (Audit) was of the opinion that the documents and information submitted by the Department were not satisfactory. The Principal Secretary (Home) agreed with the views of the AG (Audit) that there was scope for improvement and stated that due to operational urgency there were instances when

the paper work could not be maintained. He admitted that in the absence of proper records there was room for misappropriation. **The Department is directed to review the entire working of its workshop with special reference to the irregularities pointed out in the Report. Lapses if any, on the part of the officials, should be identified and responsibility fixed for the same.**

Para 3.1.9 Water sources of DFS:

The Report of the C&AG had observed that:

- (a) **Hydrants:** 90 per cent of hydrants are unserviceable as they have been obscured under the road carpeting and no satisfactory arrangement exists for their speedy repair and maintenance. These hydrants are also ineffective since water supply is restricted to a few hours in the morning and in the evening.
- (b) **Static water tanks:** 76 per cent of the static water tanks were non operational and DFS has made no effort to increase the number of static water tanks.
- (c) **Provision of Tube-wells at all the Fire Stations:** A test check of records in case of seven fire stations at Shahdara, Mayur Vihar, Rakabganj, Laxmi Nagar, Wazirpur, Rohini and Badli revealed that there was no tube-well at these fire stations. Despite the urgent need for regular water supply at all fire stations, DFS did not make efforts to ensure the construction of tube-wells.

The para was considered in the meeting held on 9th November 2004. The Departmental Representative informed that 90% of the water hydrants were unserviceable and even in the places where these were available they could not be put to optimum use due to low water pressure and irregular supply of water. He stated that a survey had been conducted by the Delhi Jal Board to identify the serviceable water hydrant and install new ones. The Committee was also informed that the Department found it convenient to fill and refill the fire tenders using the overhead water tanks of the Jal Board, as compared to tube well, as it saved time and the quality of water was also good, as it did not corrode the equipments. The Department has mentioned in its written reply that all the tube well had been installed and commissioned.

The Department is directed to expedite the process of identification of serviceable water hydrants, static water tanks and installation of new ones with the help of the Delhi Jal Board.

The Committee agrees with the contention of the Department that the in built fire fighting mechanism in high-rise buildings was the most effective way to control fire. However, as admitted by the Department in the meeting, this mechanism was limited to the authorized high-rise buildings, which were about 800 as compared to more than 2500 high-rise buildings. The Department has assured that action is being contemplated against these unauthorized buildings for not maintaining adequate fire fighting precautions. **The Department is directed to take early action against the defaulters.**

Para 3.1.10 Manpower:

In the meeting held on 9th November 2004 the attention of the Departmental Representative was drawn towards the observation of the C&AG that the Delhi Fire Services had shortage of staff ranging from 26-50%. The Principal Secretary stated that there was earlier a shortage of staff caused chiefly due to the delay by the Delhi Subordinate Staff Selection Board in recruiting staff, but the process had now been expedited.

As mentioned in para 3.1.5 (b) (ii) follow up action on the part of the Department was lacking (page 3 of the Report). The Department is also directed to pursue relentlessly with the

UPSC for framing recruitment rules of the entire cadre so that these posts can also be filled up at the earliest.

Para 3.1.11 Training Centers:

The attention of the Departmental Representative was drawn towards the observation of the C&AG that the Delhi Fire Services was not providing specialized fire fighting training to its staff or special training for fighting fires caused by electricity or chemicals. The Departmental Representative informed that since March 2001 a training center had been set up at Rohini, which was providing specialized training to staff as well as outsiders. The department had sent six persons abroad for training and these people were now imparting training to the other staff personnel.

Conclusion:

The Committee was of the unanimous opinion that the functioning of the Delhi Fire Services had improved over the past few years. However, there was scope for improvement. Besides the deficiencies in the Department itself as brought out by the Report of the C&AG, the Committee found that the department had to depend on a lot of outside agencies to execute its proposal, which caused considerable delay. This is not good for the effective functioning of a Department providing emergency services.

The C&AG has pointed the following shortcomings of the Department which have been discussed in the preceding paragraphs:

- i) Non adherence of Fire/Rescue Calls and Response time
- ii) Inadequate number of fire stations
- iii) Poor management of staff quarters
- iv) Insufficient fire fighting equipment
- v) Poor management of workshop and unsatisfactory maintenance of records
- vi) Poor maintenance/installation of water sources
- vii) Insufficient manpower
- viii) Poor facilities for training centers.

The Department should take concrete steps to improve on these deficiencies. The year 2007 should be the target year to achieve all standards required for fire fighting including number of fire stations, manpower, training, equipments etc.

Fire Service is an emergency service and agencies such as the Delhi Urban Arts Commission, Delhi Development Authority and Municipal Corporation of Delhi, Delhi Jal Board, Delhi Subordinate Staff Selection Board, which are supposed to assist the Fire Department in achieving its goals, should work on emergency basis.


1. Standardised Plans of fire stations of various sizes should be prepared and got approved by the DUAC in advance to avoid delay in the clearance of fire stations in Delhi. Proposals should be cleared by the DUAC in a time bound manner, preferably within a month, considering the fact that the fire stations are to provide emergency services.

Accordingly, the Union Ministry of Urban Development should be requested to consider the proposals promptly. The feasibility of maintaining a standardized blue print for all the proposed projects should be explored so that securing clearances from these agencies could be expedited.

2. DSSSB should accord highest priority for selection and recruitment of personnel for the Fire Services as any delay may cause deterioration in the efforts for fire fighting.
3. Municipal Corporation of Delhi should clear the proposals submitted by the Fire Department in a time bound manner, preferably within a month and all efforts should be taken to ensure the prompt disposal of the proposal.
4. Delhi Jal Board, as mentioned earlier, has to expedite the process of identification of serviceable water hydrants, static water tanks and installation of new ones.
5. Delhi Development Authority should initiate steps to ensure that all the requirements for allotment of land for new fire stations are cleared in a time bound manner, preferably within six months so that the Delhi Fire Service is able to achieve the target of opening of fire stations in all the Assembly constituencies by the year 2007
6. The Chief Secretary, Delhi should issue necessary instructions to all the concerned Departments such as the DSSSB, DUAC, MCD, DDA, DJB etc., to clear the proposals of the Delhi Fire Services, which is an emergency service, in a time bound manner in the interest of the citizens of Delhi.

The Department is directed to submit an Action Taken Report on the recommendations of the Committee within three months of the adoption of this Report by the House.

Delhi
1st December 2004


Dr. Narender Nath
Chairman
Public Accounts Committee

समिति की सदस्यता
COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1 डॉ० नरेन्द्र नाथ, Dr. Narender Nath,	सभापति Chairman
2 श्रीमती ताजदार बाबर Smt. Tajdar Babar	सदस्य Member
3 श्री राजेश जैन Shri Rajesh Jain	सदस्य Member
4 श्री वीर सिंह धिंगान Shri Veer Singh Dhingan	सदस्य Member
5 श्री बलराम तंवर Shri Balram Tanwar	सदस्य Member
6 श्रीमती बरखा सिंह Smt. Barkha Singh	सदस्य Member
7 श्री जय भगवान अग्रवाल Shri Jai Bhagwan Aggarwal	सदस्य Member
8 श्री एस०पी० रातावाल Shri SP Ratawal	सदस्य Member
9 श्री ए० दयानन्द चंदीला ए Shri A Dayanand Chandila A	सदस्य Member

**विशेष आमंत्रि
Special Invitees:**

1 श्री आर०के० घोष Shri RK Ghose	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली Accountant General (Audit), Delhi.
2 डा० सरत चौहान Dr. Sarat Chauhan	अतिरिक्त सचिव (वित्त) दिल्ली सरकार Additional Secretary (Finance) Government of Delhi.

**विधान सभा सचिवालय
Assembly Secretariat:**

1 श्री सिद्धार्थ राव Shri Siddharath Rao	सचिव Secretary
2 श्री जी०एस० रावत Shri GS Rawat	संयुक्त सचिव Joint Secretary
3 श्री सी० वेलमुरुगन Shri C. Velmurugan	अवर सचिव (विधायी) Under Secretary (Legislation)
4 श्री जे०पी० बडोला Shri JP Badola	अधीक्षक (विधायी) Superintendent (Legislation)

* * * * *

प्रस्तावना


मैं, डॉ. नरेन्द्र नाथ, सभापति, लोक लेखा समिति, दिल्ली विधान सभा, समिति द्वारा इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत करने पर, एतद्द्वारा मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में वर्णित, दिल्ली अग्निशमन सेवा से संबंधित पैरो के परीक्षण से संबद्ध, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

लोक लेखा समिति की परिचायक बैठक दिनांक 21 सितम्बर 2004 को आयोजित हुई थी और समिति ने दिल्ली अग्निशमन सेवा से संबंधित पैरो का परीक्षण करने का निर्णय लिया । समिति ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2 नवम्बर और 9 नवम्बर 2004 को आयोजित बैठकों में इन पैरो पर विचार किया । समिति ने व्यापक विचार-विमर्श किया और विभागीय प्रतिनिधियों को भी इन बैठकों में अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया । समिति के प्रतिवेदन को दिनांक 1 दिसम्बर 2004 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृत किया गया ।

समिति, श्री आर.के.घोष, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली और डॉ. शरत चौहान, अपर सचिव, वित्त विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग और मार्गदर्शन की आभारी है ।

समिति, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा बैठकों के दौरान एवं प्रतिवेदन तैयार करने में दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिये भी आभार व्यक्त करती है ।

दिल्ली
1 दिसम्बर, 2004


(डॉ. नरेन्द्र नाथ)
सभापति
लोक लेखा समिति

प्रतिवेदन

पैरा 3.1.5: अग्निशमन

(क) अग्नि/बचाव कॉल तथा प्रत्युत्तर समय:

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह देखा गया कि विभाग, नमूना जांच के 63 प्रतिशत मामलों में, निर्धारित अधिकतम प्रत्युत्तर समय सुनिश्चित करने में विफल रहा। लक्षित 70 दमकल केन्द्रों की बजाय केवल 36 दमकल केन्द्र ही थे। इन दमकल केन्द्रों का वितरण जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 63 प्रतिशत से अधिक मामलों में प्रत्युत्तर समय, शहरी क्षेत्रों के अन्दर पांच मिनट की समय सीमा से बहुत अधिक था। ग्रामीण क्षेत्रों में, 10 मिनट की अधिकतम समय सीमा केवल 16.18 प्रतिशत मामलों में ही अनुरक्षित की गई थी। 32 मामलों में प्रत्युत्तर समय 25 से 82 मिनट के बीच था और तय की गई दूरी चार से 34 कि.मी. के बीच थी। यह भी देखा गया कि निर्धारित समय सीमा केवल उन्हीं मामलों में अनुरक्षित की गई थी, जिनमें ये कॉलें, दमकल केन्द्रों से पांच कि.मी. की दूरी से थीं। लॉग पुस्तकों की संवीक्षा से भी ज्ञात हुआ कि अधिकतर मामलों में वाहनों के ऑडोमीटर खराब थे तथा यात्रा किये गये किलोमीटरों की संख्या केवल अनुमान पर ही आधारित थी।

पैरा के बारे में 5 अक्टूबर 2004 को हुई मीटिंग में विचार किया गया। विभागीय प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उनके अधिकतम प्रयासों के बावजूद, कारण नियंत्रण से बाहर थे, यथा-भारी यातायात, भीड़ भरे मार्ग और अनाधिकृत निर्माणों के कारण अग्नि टेंडर, घटनास्थलों पर निर्धारित समय के अन्दर नहीं पहुँच सके। विभाग ने सदर बाजार क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहाँ तीन दमकल केन्द्र होने के बावजूद, घने यातायात व जनसंख्या के कारण यात्रा बहुत मुश्किल हो गई तथा डेढ़ किलोमीटर की दूरी तय करने में टेंडरों को 15 मिनट लगे। प्रधान सचिव ने बताया कि घटनास्थल पर पहुँचने के बाद भी, प्रायः भवनों तक पहुँच अनधिगम्य थी। उन्होंने बताया कि विभाग अग्नि बाउसरो की खरीद का विचार कर रहा है, जो एक साधारण अग्नि टेंडर से तीन गुना ज्यादा पानी ले जा सकते हैं। विभाग द्वारा मोटर साइकिलों पर अग्निकर्मियों के परिनियोजन का प्रस्ताव भी किया गया है, जो घटनास्थल पर शीघ्रतापूर्वक पहुँच सकें तथा अग्निशमन कार्य शुरू कर सकें।

समिति, विभाग के इस दावे से सहमत है कि निर्धारित समय सीमा का पालन, विद्यमान परिस्थितियों में मुश्किल है। भारी क्षमता के बाउसर्ज और मोटर साइकिलों पर कर्मियों के परिनियोजन का प्रस्ताव व्यवहारिक और साध्य है। विभाग को इस पर तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ करनी चाहिए। खराब ऑडोमीटरों के संबंध में विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इनकी यथाशीघ्र मरम्मत/प्रतिस्थापना की जाये।

(ख) दमकल केन्द्र

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में देखा गया कि 70 लक्षित दमकल केन्द्रों की बजाय केवल 36 दमकल केन्द्र थे और विद्यमान 36 दमकल केन्द्रों का वितरण दिल्ली की जनसंख्या के अनुपात में नहीं था।

दिनांक 5 अक्टूबर 2004 को आयोजित मीटिंग में प्रधान सचिव (गृह) ने बताया कि वर्ष 2002-2004 की अवधि के दौरान विभाग, दि.वि.प्रा. से 26 भूमि क्षेत्रों का कब्जा लेने में

सफल रहा और अब इन क्षेत्रों में चार अस्थायी दमकल केन्द्र पोर्टा केबिनों में कार्यरत हैं । 24 मामलों में विभाग ने व्यय वित्त समिति की अनुमति प्राप्त की थी । उन्होंने बताया कि निर्माण-कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग कार्यकारी अभिकरण था और दि.वि.प्रा., दि.न.नि., डी.यू.ए.सी. (दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन) से स्वीकृति प्राप्त होने में काफी समय व्यतीत हुआ । आठ मामले अब डी.यू.ए.सी. के पास पहुँच गये । उन्होंने बताया कि निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिये डी.यू.ए.सी. से स्वीकृत प्राप्त होने के बाद लगभग 18-24 महीनों की पक्वनावधि की आवश्यकता होगी ।

समिति को यह आश्वासन दिया गया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के अंत तक विभाग सभी 70 विधान सभा क्षेत्रों में दमकल केन्द्र खोलने में सक्षम होगा । यह भी बताया गया कि उन क्षेत्रों में, जिनमें 6-7 कि.मी. के अन्दर दमकल केन्द्र नहीं हैं, उनको चिह्नित कर लिया गया है और दि.वि.प्रा. को उपयुक्त स्थल के आबंटन का अनुरोध किया गया है । इससे विद्यमान दमकल केन्द्रों के, जनसंख्या के अनुपात में न होने की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया जायेगा । विभाग को दूरवर्ती क्षेत्रों में, जो दमकल केन्द्रों से दूर हैं और उन क्षेत्रों में, जो अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं, और अधिक अस्थायी केन्द्र संचालित करने की संभावना का अन्वेषण करना चाहिये ।

लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां ध्यान में आई थी:-

(i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में देखा गया कि नवम्बर 1994 में जब दि.अ.से. का दि.न.नि. से रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को अन्तरण किया गया था, दि.न.नि. द्वारा मार्च 1999 तक 18 में से 13 परियोजनाओं को पूरा किया जाना था । दि.न.नि. के पास 12 दमकल केन्द्रों सहित 18 परियोजनाएँ थीं । इनमें से केवल तीन दमकल केन्द्र पूरे किए गए थे तथा नौ अभी भी प्रगति पर हैं तथा दमकल केन्द्र अधूरे भवनों में कार्य कर रहे हैं । ये परियोजनाएं दौ से नौ वर्षों तक की अवधि से प्रगति पर हैं । दि.न.नि. को उसकी 27.08 करोड़ रु. की कुल माँग में से सितम्बर 1999 तक 24-91 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका था । दि.अ.से. ने इन परियोजनाओं के न तो कोई विस्तृत विवरण तैयार किये थे और न ही विस्तृत विवरण तैयार किये थे और न ही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिये दि.न.नि. के साथ संयुक्त निरीक्षण किए थे ।

विभागीय प्रतिनिधियों ने 2 नवम्बर 2004 को आयोजित मीटिंग में समिति को सूचित किया कि परियोजनाओं को प्रारंभिक रूप से तब शुरू किया गया, जब ये दि.न.नि. के अधीन थीं । अपने लिखित उत्तर में विभाग ने सूचित किया है कि परियोजनाएं (पूर्ण /अंशतःपूर्ण) वर्ष 2003 में लो.नि.वि. को सौंप दी गई हैं ।

(ii) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में चिह्नित किया गया है कि नरेला में दमकल केन्द्र 1985 से अस्थाई ढाँचे में कार्य कर रहा है । दि.रा.औ.वि.नि. नरेला में एक अन्य केन्द्र दि.न.नि. द्वारा जून 1999 में पूरा किया गया था परन्तु दि.अ.से. ने नए दमकल केन्द्र का कार्यभार नहीं संभाला तथा दमकल केन्द्र सितम्बर 2001 तक चालू नहीं हुआ था ।

दो नवम्बर 2004 को आयोजित मीटिंग में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि दमकल केन्द्र जुलाई 2002 में चालू हो गया और केन्द्र खुलने में विलम्ब का मुख्य कारण पर्याप्त कर्मचारियों की कमी का होना था । विभागीय प्रतिनिधियों ने बताया कि

जनशक्ति के लिये दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 1999 में ही अनुरोध कर दिया गया था परन्तु उम्मीदवारों का मनोनयन ढाई साल के बाद किया गया ।

समिति विभाग के इस दावे को स्वीकार करती है कि दि.अ.से.च.बो. कर्मचारियों का तत्काल मनोनयन नहीं कर सकता । तथापि, विभाग के लिखित निवेदन से यह स्पष्ट है कि विभागीय प्रतिनिधि की ओर से अनुवर्ती कार्रवाई में शिथिलता थी । फायर ऑपरेटरों के पदों को भरने का अनुरोध मूलरूप से 26-3-1999 को भेजा गया। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को स्मरण-पत्र दो वर्ष बाद अर्थात् 25-4-2001 को भेजा गया, जब विभाग में अतिरिक्त रिक्तियां बढ़ गई । इसी तरह दूसरा स्मरण-पत्र 27-9-2002 भेजा गया अर्थात् एक वर्ष से ज्यादा समय के बाद, जब कुछ और अधिक पद रिक्त हो गए । इस तरह विभाग बोर्ड से रिक्तियों को भरने के लिए अनुरोध के संबंध में उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफल रहा । विभाग को भविष्य में अधिक सतर्क रहने और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में प्रगति की सख्ती से परीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है ।

(iii) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में चिह्नित किया गया है कि बादली का दमकल केन्द्र, किसी पानी के कनेक्शन तथा ट्यूबवैल के बिना ही 1992 से औद्योगिक विभाग के किराए के भवन में कार्य करता है ।

दो नवम्बर को हुई मीटिंग में विभागीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि दमकल पर पहले पेयजल कनेक्शन उपलब्ध नहीं था, जो अब चालू कर दिया गया है । समिति को यह भी सूचित किया गया कि अग्नि टैंडरों में पानी दिल्ली जल बोर्ड के ओवर हैड टैंकों से भरा जाता था और वे हमेशा पानी के साथ, तैयार स्थिति में रहते थे ।

(I) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में देखा गया कि नेहरू प्लेस दमकल केन्द्र के बिजलीकरण का कार्य दि.वि.बो. को सितम्बर 1996 में 17.14 लाख रुपये के भुगतान तथा विलम्बित भुगतान हेतु अर्थदण्ड के भुगतान के रूप में दिसम्बर 1998 में 6.39 लाख रु. के अतिरिक्त भुगतान के बावजूद लम्बित है ।

दो नवम्बर को आयोजित मीटिंग में विभागीय प्रतिनिधियों ने बताया कि 1996 में किया गया भुगतान, अंतरिम भुगतान था और बकाया भुगतान 1998 में किया गया । तथापि, ए.जी. (ऑडिट) के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भुगतान, विलम्बित भुगतान हेतु अर्थदण्ड के रूप में किया गया प्रतीत होता है । विभाग को तथ्यों की जाँच का निर्देश दिया जाता है और यदि भुगतान, अधिकारियों की ओर से हुई लापरवाही के कारण हुआ है तो इसके लिये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये ।

(II) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में देखा गया कि दि.अ.से. ने अप्रैल 1991 में पाँच दमकल केन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि के आबंटन के लिए दि.वि.प्रा. को 1.30 लाख रु. तथा छह केन्द्रों के निर्माण के लिये, दिसम्बर 1999 से सितम्बर 2000 के दौरान 1.54 लाख रु. का भुगतान किया । दि.वि.प्रा. ने दो मामलों में भुगतान के 17 महीने बाद भूमि का कब्जा सौंपा, परन्तु ऊपर बताये गए मामलों में से ग्यारह मामलों में उसने जून 2001 तक कब्जा नहीं दिया । उन दो मामलों में भी, जिनमें भूमि मई 2001 में सौंपी गई थी, दि.अ.से. ने सितम्बर 2001 तक निर्माण प्रारम्भ नहीं किया था ।

प्रधान सचिव ने समिति को सूचित किया कि भूमि के आबंटन में दि.वि.प्रा. की ओर से विलम्ब हुआ है और यह स्वीकार किया कि दि.अ.से. की ओर से दि.वि.प्रा.के साथ मामले की

अनुवर्ती कार्रवाई में शिथिलता हुई है । उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 के बाद विभाग 22 प्लॉटों के कब्जे लेने में सफल रहा । विभाग को भविष्य में अधिक सतर्क रहने और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की सख्ती से परीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है ।

पैरा 3.1.6 स्टाफ क्वार्टरों का प्रबन्धन

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में चिह्नित किया गया है कि स्टाफ क्वार्टरों का प्रबन्ध खराब है । दिल्ली अग्निशमन सेवा में *सतत सेवा प्रणाली* विद्यमान है तथा सभी कर्मचारियों को दमकल केन्द्रों के परिसरों में ही रहना अपेक्षित है । पारिवारिक आवास, उपलब्धता की सीमा तक ही आबंटित किये जाते हैं तथा शेष कर्मचारी बैरकों में रहते हैं । दि.अ.से. के पास जुलाई 2001 तक 36 दमकल केन्द्रों में से 27 केन्द्रों पर स्टाफ क्वार्टर हैं । इन क्वार्टरों के प्रबन्धन के लिए विभाग के पास कोई सम्पदा अधिकारी नहीं है । विभाग ने विभिन्न दमकल केन्द्रों में उपलब्ध स्टाफ क्वार्टरों की संख्या के समेकित विवरण अनुरक्षित नहीं किये थे ।

दो नवम्बर 2004 को आयोजित मीटिंग में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि ए.सी.(फायर) को अब सम्पदा अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज सही ढंग से अनुरक्षित किये जा रहे हैं ।

लेखा परीक्षा में नौ दमकल केन्द्रों में अनुरक्षित आबंटन रजिस्ट्रों की नमूना जाँच की गई थी । इन आबंटन रजिस्ट्रों की संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताओं/विसंगतियों का भी पता चला :-

(I) नौ दमकल केन्द्रों पर 341 स्टाफ क्वार्टरों में से एस.पी. मार्ग दमकल केन्द्र पर 12 स्टाफ क्वार्टरों सहित 43 खाली थे क्योंकि ये क्वार्टर मार्च 1999 में असुरक्षित घोषित कर दिये गये थे ।

विभाग ने सूचित किया कि चूंकि अधिकांश कर्मचारी स्थानीय निवासी थे, उन्होंने अपने आवास में ही रहने को प्राथमिकता दी और विभाग के पास स्टाफ क्वार्टरों की कमी नहीं है । समिति को यह भी सूचित किया गया कि पहले ऑप्रेशनल स्टाफ द्वारा 24 घंटे के विराम के साथ 72 घंटे की लगातार ड्यूटी की जाती थी, जिससे क्वार्टरों की अत्यधिक मांग हुई । तथापि, वर्ष 1995 में यह पैटर्न बदलकर 48 घंटे कार्य व 24 घंटे विराम और फिर वर्ष 1997 में 24 घंटे कार्य और 24 घंटे विराम हो गया, जिससे स्टाफ क्वार्टरों की मांग में कमी हुई ।

अपने लिखित उत्तर में विभाग ने सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग को उन भवनों को विखंडित करने के लिये कहा गया है, जिनको असुरक्षित घोषित किया गया है ।

(II) पाँच क्वार्टरों के आबंटिती या तो सेवानिवृत्त हो गए थे या उनकी मृत्यु हो गई थी परन्तु उनके परिवार इन क्वार्टरों में अभी भी रह रहे थे ।

विभाग ने सूचित किया कि सभी उल्लिखित मामले ऐसे थे, जिनमें आश्रितों ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिये आवेदन किया था और इनमें से अब तक केवल दो की नियुक्ति की जानी थी ।

(III) दि.न.नि. के अधिकारियों को स्टाफ क्वार्टर आबंटित किये गये : विभाग ने सूचित किया कि उक्त परिसर में दि.न.नि. का औषधालय चल रहा था और दूसरे क्वार्टर, दि.अ.से. के कर्मचारियों के हितगत, औषधालय के स्टाफ को आबंटित किये गये ।

विभाग को उपरोक्त परिसर में दिल्ली सरकार का औषधालय खोलने की संभावना की खोज करनी चाहिए ।

(IV) दि.न.नि. को 1.47 करोड़ रु. के भुगतान के बावजूद, तीन दमकल केन्द्रों में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण नहीं हुआ। दि.न.नि. को ज्वालापुरी, प्रसाद नगर और नजफगढ़ दमकल केन्द्रों में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण दिसम्बर 1999 तक पूरा करना था। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने मार्च 1999 तक दि.न.नि. को 1.47 करोड़ रु. की राशि जारी की । दि.न.नि. ने सितम्बर 2001 तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया था । दि.अ.से. ने दि.न.नि. से विलम्ब के कारणों का पता नहीं लगाया था ।

विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि ज्वालापुरी में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिसे अब अधिग्रहीत कर लिया गया है । प्रसाद नगर में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और विभाग द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है । नजफगढ़ में क्वार्टर अभी निर्माणाधीन थे । प्रधान सचिव (गृह) ने बताया कि परियोजना उस समय शुरू की गई थी, जब यह दिल्ली नगर निगम के अधीन थी । दिल्ली सरकार को स्थानान्तरित होने के बाद दि.न.नि. ने इन परियोजनाओं में अधिक रुचि नहीं ली ।

जैसा कि पहले अनुमोदित किया गया है, विभाग को भविष्य में अधिक सतर्क रहने और अपनी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की सख्ती से परीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है ।

पैरा 3.1.7 अग्निशमन उपकरण :

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में देखा गया कि अग्निशमक उपकरण अपर्याप्त थे और इनमें से अधिकांश खराब थे ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:-

(I) बड़ी संख्या में अग्निशमक उपकरण खराब थे । अधिकतर उपकरण/वाहन उनकी समय सीमा पूरी हो जाने के कारण खराब थे तथा उनकी बार-बार मरम्मत की जरूरत पड़ती थी । विभाग ने भी उनमें से बहुत से उपकरणों को कंडम घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था ।

(II) गृह मंत्रालय के प्रतिमानों के अनुसार पचास हजार की जनसंख्या के लिए एक पम्पिंग यूनिट होना चाहिए । तदनुसार दिल्ली में जल टैंडरों की आवश्यकता 200 से अधिक परिकलित की गई थी । परन्तु दि.अ.से. के पास केवल 77 जल टैंडर हैं, जिनमें से 35 प्रतिशत खराब थे । खराब पड़े हुए 27 जल टैंडरों में से, सात कंडम घोषित करने के लिए प्रस्तावित किए गए थे तथा 10 और जल टैंडर, जो अनुपभोग्य हैं, कंडम घोषित करने के लिए प्रस्तावित किए जा रहे हैं । उसी प्रकार खराब पड़े हुए आठ वॉटर बाऊसरों में से सात कंडम घोषित करने के लिए प्रस्तावित किए जा रहे हैं । तथापि, विभाग ने उन चौदह उपकरणों की मरम्मत तथा निर्माण पर 14.29 लाख रु. का खर्चा किया, जिनकी समय सीमा गृह मंत्रालय के प्रतिमानों के अनुसार पहले ही समाप्त हो चुकी थी । भारी व्यय के बावजूद ये उपकरण अनुपभोग्य पड़े हुये हैं । कुछ मामलों में यह भी देखा गया था कि उन वाहनों की मरम्मत पर भी खर्चा किया गया था, जो कि कंडम घोषित कर दिए गए थे ।

पैरा 3.1.8 कार्यशाला

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में देखा गया कि अतिरिक्त पुरजों की आवश्यकता के आकलन और दि.अ.से. कार्यशाला में अतिरिक्त पुरजे जारी करने के रिकॉर्ड की कोई प्रणाली नहीं थी। दि.अ.से. ने 1997-2001 के दौरान 1.19 करोड़ रु. मूल्य के उपकरण खरीदे। अतिरिक्त पुरजों की आवश्यकता के आकलन तथा अतिरिक्त पुरजों के मूल्य तथा उनकी जारी की जाने वाली मात्रा को दर्ज करने के लिये कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। न तो वाहनों की हिस्ट्री-शीटें अनुरक्षित की गई थी और न ही विशिष्ट वाहनों को जारी अतिरिक्त पुरजों के विवरण उपलब्ध थे। 125 मामलों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि टायर, ट्यूब तथा बैटरियों आदि जैसे अतिरिक्त पुरजे भण्डार से जारी किए हुए दर्शाए गए थे जबकि रिपोर्टिंग रजिस्ट्रों की संवीक्षा से पता चला कि उन वाहनों, जिनके लिए ये अतिरिक्त पुरजे जारी किए गए थे, कभी कार्यशाला में आए ही नहीं थे। अतः अतिरिक्त पुरजों की चोरी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके लिए विभाग द्वारा जांच की आवश्यकता थी। प्राइवेट पार्टियों से वाहन मरम्मत कराने पर 1997-2001 के दौरान 1.78 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। अभिलेखों की नमूना-जांच से कई अनियमितताओं का पता चला:-

(क) प्राइवेट पार्टियों से वाहनों की मरम्मत कराने से पूर्व कार्यशाला से इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था कि उसकी कार्यशाला पर मरम्मत नहीं की जा सकती।

(ख) अधिकतर मामलों में, मरम्मत के बिल किए गए कार्य अथवा बदले गए पुरजों की मदों को नहीं दर्शाते थे।

(ग) वॉटर टैंडरों / वॉटर बाउसरों की मरम्मत के लिए अक्टूबर 1998 से मार्च 2001 के दौरान 58 मामलों में 13.57 लाख रु. का भुगतान किया गया था। इन वाहनों की लॉग पुस्तकों की जांच से ज्ञात हुआ कि ये वाहन उन दिनों में जब उनकी मरम्मत की जानी थी, निजी कार्यशालाओं में नहीं थे। मरम्मत बिलों के कई मामलों के संबंध में यह देखा गया था कि बिलों पर संख्या तैथिक क्रम में नहीं थी। बाद वाली संख्याओं के बिल पहले की तिथियों में जारी किए गए थे तथा पहले की संख्याओं के बिल बाद की तिथियों को जारी किए गए थे। इस प्रकार, मरम्मत सही प्रतीत नहीं होती थी। इस विषय में सम्पूर्ण जांच की आवश्यकता है तथा मरम्मत की वर्तमान प्रणाली का पुनरीक्षण अपेक्षित है।

उक्त पैरा के संबंध में दिनांक 9 नवम्बर 2004 को आयोजित मीटिंग में विचार किया गया। ए.जी.(ऑडिट) का मत था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और सूचनाएं संतोषजनक नहीं थे। प्रधान सचिव (गृह), ए.जी.(ऑडिट) के विचारों से सहमत थे कि सुधार की गुंजाइश थी और उन्होंने बताया कि परिचालन अत्यावश्यकता के कारण ऐसे दृष्टान्त थे, जहाँ कागजी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने स्वीकार किया कि उपयुक्त रिकॉर्ड के अभाव में दुर्विनियोजन को अवसर मिला। विभाग को, प्रतिवेदन में चिह्नित अनियमितताओं के विशिष्ट सन्दर्भ के साथ, कार्यशाला की संपूर्ण कार्य-प्रणाली की समीक्षा का निर्देश दिया जाता है। अधिकारियों के स्तर पर यदि कोई चूक हुई है तो उसकी पहचान करके उसके लिए जिम्मेदारी तय की जाये।

पैरा 3.1.9 दि.अ.से.के जल स्रोत :

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में देखा गया कि :-

(III) दि.अ.से. ने मई 1999 में 1.65 करोड़ रु. की कुल लागत पर 30 वॉटर टैंडर चेसिज खरीदे। यद्यपि इनमें से 24 चेसिज जुलाई 1999 में प्राप्त हुई थी, नक्शों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण वाटर टैंडर जून 2001 तक निर्मित नहीं किए गए थे। कंडम वाहनों के प्रतिस्थापन में दो वर्षों से भी अधिक के विलम्ब का विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(IV) अप्रैल 1997 से विशिष्ट अग्निशमक उपकरणों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी तथा इनमें से भी अधिकतर उपकरण खराब पड़े हैं। रासायनिक अग्निशमन के प्रयोग हेतु प्रयोग में आने वाले चार कार्बन डॉयक्साइड फोम क्रेश टैंडरों में से तीन खराब थे तथा केवल एक लाईट-वैन चालू हालत में थी। तेल द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग में आने वाला केवल एक सूखा रासायनिक पाउडर टैंडर खराब है। ऊँची इमारतों में भी अग्निशमन के प्रबन्धक अपर्याप्त हैं क्योंकि छह घूमने वाली सीढ़ियों में से पांच खराब पड़ी थी।

(V) इसके अतिरिक्त, 18.29 लाख रु. की लागत पर मार्च तथा जुलाई 2000 में खरीदी गई 12 मोटरसाईकिल, एक आइशर एम्बुलेंस तथा एक आइशर एल्यूमिनियम कंटेनर वैन, पंजीकरण की प्रतीक्षा में अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

उक्त पैरा पर 9 नवम्बर 2004 को आयोजित मीटिंग में विचार किया गया। विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले वर्ष कंडम घोषित किये गये सभी मदों का निपटान कर दिया गया, कुछ मदों के सिवाय, जो कि न्यूनतम निर्धारित कीमत के समान भी नहीं थे।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस निरीक्षण के संबंध में कि 18.29 लाख रु. की लागत से खरीदे गये वाहन पंजीकरण की प्रतीक्षा में अप्रयुक्त पड़े हुये थे, विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि इन वाहनों का पंजीकरण हो चुका है और अब उनको चलाया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि का ध्यान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस निरीक्षण की ओर दिलाया गया कि जुलाई 1999 में खरीदे गये 24 चेसिज निर्मित नहीं किये गये और वे जून 2001 तक अप्रयुक्त पड़े थे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने स्वीकार किया कि इस संबंध में विलम्ब हुआ है क्योंकि एक एजेंसी ने शिकायत दर्ज कर दी और ठेके के लिये दोबारा टैंडर लेने पड़े। अपने लिखित उत्तर में विभाग ने बताया कि व्यय दो चरणों में किया जाना था, अर्थात् वर्ष 1999-2000 में चेसिजों की खरीद के लिए 356 लाख रु. और वर्ष 2000-2001 में निर्माण हेतु 192 लाख रु.।

तथापि दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रति में यह स्पष्टतया उल्लिखित है कि वर्ष 1999-2000 में 21 चेसिज प्राप्त करके निर्मित किये जाने थे, ऐसा नहीं किया गया। इसी तरह विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दोबारा टैंडर जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है। गृह विभाग के पत्र दिनांक 15-1-2001 की पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उल्लेख है कि वित्त विभाग ने न्यूनतम टैंडरदाता को टैंडर देने का परामर्श दिया था। विभागीय प्रतिनिधि ने, समिति की मीटिंग में जो कहा और उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये, उनके मध्य विरोधाभास प्रतीत होता है।

विभागीय प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) ने तकनीकी प्रयासों के मूल्यांकन में आठ माह का समय लिया था। समिति, मूल्यांकन-प्रक्रिया के शीघ्र निपटान हेतु किये गये प्रयासों के बारे में जानना चाहती है।

विभाग को तथ्यों की जाँच का निर्देश दिया जाता है और विभाग की इस स्वीकार्यता के दृष्टिगत कि विलम्ब हुआ था, इसके लिये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये।

(क) उत्सोर्जक : 90 प्रतिशत उत्सोर्जक अप्रयोज्य हैं क्योंकि वे रोड कारपेटिंग के अन्तर्गत अल्पदृश्य हो गए हैं तथा शीघ्रता से उनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण का कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है । प्रातःकाल तथा सायंकाल कुछ घंटे जल आपूर्ति न होने के कारण ये उत्सोर्जक अप्रभावी हैं ।

(ख) स्थिर जल टैंक : 76 प्रतिशत स्थिर जल टैंक चालू हालत में नहीं थे और दि.अ.से. ने स्थिर जल टैंकों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया ।

(ग) सभी दमकल केन्द्रों पर ट्यूबवैलों का प्रावधान : शाहदरा, मयूर विहार, रकबगंज, लक्ष्मीनगर, वजीरपुर, रोहिणी तथा बादली में सात दमकल केन्द्रों के मामले में अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि इन दमकल केन्द्रों पर कोई ट्यूबवैल नहीं था । सभी दमकल केन्द्रों पर नियमित जल आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता के बावजूद, दि.अ.से. ने ट्यूबवैलों के निर्माण को सुनिश्चित करने के प्रयास नहीं किये ।

उक्त पैरा पर दिनांक 9 नवम्बर 2004 को आयोजित मीटिंग में विचार किया गया । विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि 90 प्रतिशत जल उत्सोर्जक अप्रयोज्य थे और ऐसी जगहों पर भी, जहाँ ये उपलब्ध थे, इनको पानी के कम दबाव और अनियमित जल आपूर्ति के कारण अनुकूल ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता । उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रयोज्य जल उत्सोर्जकों की पहचान करने और नये लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया । समिति को यह भी सूचित किया गया कि विभाग ने अग्नि टैंडरों के भराव और पुनः भराव के लिये, ट्यूब वैल की तुलना में जल बोर्ड के ओवर हैड वाटर टैंको को सुविधाजनक पाया क्योंकि इससे समय की बचत हुई और पानी की गुणवत्ता भी अच्छी थी क्योंकि इसने उपकरणों को संक्षारित नहीं किया । विभाग ने अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि सभी ट्यूबवैल लगा दिये गये और चालू कर दिये गये ।

विभाग को दिल्ली जल बोर्ड की सहायता से प्रयोज्य जल उत्सोर्जकों, स्थिर जल टैंकों की पहचान और नये लगाने की प्रक्रिया का निपटान करने का निर्देश दिया जाता है ।

समिति विभाग के इस दावे से सहमत है कि ऊँची इमारतों में आंतरिक अग्निशमन व्यवस्था, आग रोकने के लिये सबसे प्रभावी तरीका है । तथापि, जैसा कि विभाग द्वारा मीटिंग में स्वीकार किया गया, यह व्यवस्था प्राधिकृत ऊँची इमारतों तक ही सीमित है, जिनकी संख्या 2500 से भी ज्यादा ऊँची इमारतों की तुलना में लगभग 800 है । विभाग ने आश्वासन दिया है कि पर्याप्त अग्निशमन उपाय न करने के लिये इन इमारतों के विरुद्ध कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है । विभाग को चूककर्ताओं के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है ।

पैरा 3.1.10 जनशक्ति

दिनांक 9 नवम्बर 2004 को आयोजित मीटिंग में, विभागीय प्रतिनिधि का ध्यान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस निरीक्षण की ओर दिलाया गया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा में 26 से 50 प्रतिशत के बीच स्टाफ की कमी थी । प्रधान सचिव ने बताया कि पहले स्टाफ की कमी मुख्यतः, दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टाफ की भर्ती में हुई देरी के कारण थी परन्तु अब प्रक्रिया का शीघ्र निपटान कर दिया गया है ।

जैसा कि पैरा 3.1.5 (ख) (II) में उल्लिखित है, विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई (प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या -3) । विभाग को भी सभी कैडरों के भर्ती नियम बनाने के लिये

यू.पी.एस.सी. के साथ तत्परतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि इन पदों को भी शीघ्रता से भरा जा सके ।

पैरा 3.1.11 प्रशिक्षण केन्द्र

विभागीय प्रतिनिधि का ध्यान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस निरीक्षण की ओर दिलाया गया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा ने अपने स्टाफ को विशिष्ट अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया या विद्युतीय अथवा रासायनिक अग्नि को बुझाने के लिये कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया । विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि मार्च 2001 से रोहिणी में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई जो स्टाफ के अतिरिक्त बाहरी लोगों को भी विशिष्ट प्रशिक्षण दे रहा है । विभाग ने छह व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा और ये व्यक्ति अब दूसरे स्टाफकर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

निष्कर्ष

समिति का सर्वसम्मत विचार था कि दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुधार हुआ है । तथापि, सुधार की गुंजाइश है । विभाग की अपनी कमियों के अतिरिक्त, जैसा कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में बताया गया है, समिति ने पाया कि विभाग को अपने प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिये अधिसंख्य बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है । आपातकालीन सेवायें प्रदान करने वाले एक विभाग की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिये यह उचित नहीं है ।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने विभाग की निम्नलिखित कमियों को चिह्नित किया है, जिन पर पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार किया जा चुका है :-

- (I) अग्नि/बचाव कॉलों तथा प्रत्युत्तर समय की अनुपालना न करना ।
- (II) दमकल केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या ।
- (III) स्टाफ क्वार्टरों का खराब प्रबंधन ।
- (IV) अपर्याप्त अग्निशमक उपकरण ।
- (V) कार्यशाला का खराब प्रबंधन और रिकॉर्ड का असंतोषजनक रख-रखाव ।
- (VI) जल स्रोतों का खराब रख-रखाव/संस्थापन ।
- (VII) अपर्याप्त जनशक्ति ।
- (VIII) प्रशिक्षण केन्द्रों में खराब सुविधाएं ।

इन कमियों में सुधार करने के लिये विभाग को कठोर कदम उठाने चाहिये । अग्निशमन के लिए दमकल केन्द्रों की संख्या, जनशक्ति, प्रशिक्षण, उपकरण आदि सभी आवश्यक मानदण्डों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2007 लक्षित वर्ष होना चाहिये ।

अग्निशमन सेवा एक आपातकालीन सेवा है और दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी एजेंसियां, जो अग्निशमन विभाग को इसके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं, इनको आपातकालीन आधार पर कार्य करना चाहिये ।

1. विभिन्न आकारों के दमकल केन्द्रों की मानकीकृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और दिल्ली में दमकल केन्द्रों की स्वीकृति के विलंब से बचने के लिए डी.यू.ए.सी. से अग्रिम स्वीकृति लेनी चाहिये । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि दमकल केन्द्र आपातकालीन

सेवायें प्रदान करते हैं, डी.यू.ए.सी. द्वारा प्रस्तावों को समयबद्ध ढंग से, अधिमानतः एक माह के अंदर स्वीकृति देनी चाहिये । तदनुसार, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तावों पर तत्काल विचार करने का अनुरोध करना चाहिये । सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये एक मानकीकृत ब्लू प्रिंट अनुरक्षित करने की साध्यता का पता लगाना चाहिये ताकि इन एजेंसियों से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया का निपटान हो सके ।

2. दिल्ली अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड को अग्निशमन सेवा के लिये कर्मचारियों के चयन और भर्ती को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि कोई भी विलम्ब अग्निशमन के प्रयासों को बाधा पहुँचा सकता है ।

3. दिल्ली नगर निगम को, अग्निशमन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को समयबद्ध ढंग से, अधिमानतः एक माह के अंदर स्वीकृति देनी चाहिये और प्रस्तावों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास किये जाने चाहिये ।

4. जैसा कि पहले उल्लिखित है, दिल्ली जल बोर्ड को प्रयोज्य जल उत्सर्जकों, स्थिर जल टैंकों की पहचान और नये प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया का निपटान करना है ।


5. दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहिये कि नये दमकल केन्द्रों के लिये भूमि आबंटन हेतु सभी आवश्यकतायें समयबद्ध ढंग से, अधिमानतः छह माह के अंदर पूरी हो जायें, ताकि दिल्ली अग्निशमन सेवा सभी विधान सभा क्षेत्रों में दमकल केन्द्र खोलने का लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर सके ।

6. दिल्ली अग्निशमन सेवा एक आपातकालीन सेवा है, दिल्ली के नागरिकों के हित में, इसके प्रस्तावों को समयबद्ध ढंग से स्वीकृति देने के लिये, मुख्य सचिव, दिल्ली को सभी संबंधित विभागों, जैसे-दि.अ.क.च.बो., डी.यू.ए.सी., दि.न.नि., दि.वि.प्रा., दि.ज.बो. आदि को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिये ।

विभाग को समिति के अनुमोदनों पर, सदन द्वारा इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने के तीन माह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है ।

दिल्ली

1 दिसम्बर, 2004


डॉ. नरेन्द्र नाथ
सभापति
लोक लेखा समिति